

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम **VANAJA CHANDRAN**
जिसमें वह हो..... **EP Co**
2. वर्तमान धारित पद **Slēnōgrapher**
3. वर्तमान वेतन **57400** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1/7/2019**

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
DANISH KUNJ, KOLAR ROAD, BHOPAL	House No. DK-2/ 232, Danish Kunj, Kolar Road, Bhopal	—	50.00 lalchus	self	purchased	self residing	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना सम्भव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एवं यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यां दे।

हसताक्षर *Vanaja Chandran* ~~18/3/19~~

नाम *Vanaja chandran*

पद *Slēnōgrapher*

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... Leelamma Philip

2. वर्तमान धारित पद Private Secretary

3. वर्तमान वेतन 82400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-19

उस जिले, उप सभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा बौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
Bhopal	JEE C House	-	45.00 Ratkh	2वेंथ	loan	nil	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एवं यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रचान्वित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

हरताक्षर.....

नाम Leelamma Philip

पद Private Secretary

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो..... MOHD. AYAZ KHAN, (Regular)

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन..... 15300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 17. 2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पटटा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
Bhopal	house	—	25.00	—	punctate	nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एवांत यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हसताक्षर 

नाम MOHD. AYAZ KHAN

पद AAO (E)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम ओपेके-एसएस
जिसमें वह हो.....
2. वर्तमान धारित पद डॉ. पैट्रिक शेष्टा
3. वर्तमान वेतन..... अगाली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
① ओपेके खण्डाली परिसर	Flat	-	45.00 लाख	खयंक नाम पर	MPHB से लोन 2014 में	निःश	—
② आकृति एवेंज	Flat	-	60.00 लाख	खयंक नाम पर	Aakriti Builder AG-8 से HDFC से लोन 2017 CPF एवं बैंक द्वारा	निःश	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एकांत यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हसताक्षर

नाम

पद

Kleam

ओपेके-एसएस

वरि. पैट्रिक शेष्टा

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... **अंचला धोधरी**

2. वर्तमान धारित पद **सहाय्या भूतकालिका**

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा बौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम **अंचला धोधरी**

पद **सहाय्या भूतकालिका**

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो प्रदीप कुमार आचर्य
2. वर्तमान धारित पद लेखा चिकारी
3. वर्तमान वेतन 66,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा बौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
झोपाल	म१९८-	-	ल०३५८८- ५०५०.०० ८१९	स्वयं वे- प८नी वे- संचुक्ष- ८१८ वे	२९८५। ८१८।	२५-८	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एचात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

हस्ताक्षर.....
प्रदीप कुमार आचर्य

नाम प्रदीप कुमार आचर्य

पद लेखा चिकारी

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... गोबिन्दी सिंह बिल्ह

2. वर्तमान धारित पद सरात् उपराजित (प्रशासन)

3. वर्तमान वेतन 57400+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
प्रियंका राजपाल बिल्ह	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	50 लाख	—	—	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एकात्म यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर..... 28/03/19

नाम गोबिन्दी सिंह बिल्ह

पद सहायता प्रशासन उपराजित (प्रशासन)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो.....किशोर कुमार

2. वर्तमान धारित पद काईन-रालू

3. वर्तमान वेतन 5000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-19

उस जिले, उप सभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से जुड़ा संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
मौपाल	भवन क्रमांक- शहौदारी को लोनी	—	प्र०-लाल राम	प्र०-लाल 16-वर्षीय	—	—	
मौपाल	लाल क्रमांक	—	प्र०-लाल राम	प्र०-लाल 16-वर्षीय	—	—	
मौपाल	पंडी बाला सल्ला	—	प्र०-लाल राम	प्र०-लाल 19-वर्षीय	—	प्र०-लाल राम क्रमांक	

* जहां लगू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके खामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....

किशोर कुमार

नाम किशोर कुमार

पद काईन-रालू

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो..... अग्रवाल शिव
2. वर्तमान धारित पद वाइकान प्राविद
3. वर्तमान वेतन 43,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो वतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
गोपाल ग्राम-सेमरी झारखण्ड	-	ग्राम 14.92घन	95.00 लाख	मुख्य नाई (पाल एवं डिल्ली गोप पुरा का नाम)	2वर्षीय 2012 दरम	1.20 लाख कुमिंडा ग्राम-सेमरी झारखण्ड पुरा का नाम पर 2012 दरम	विरागतम् दाता नहीं ग्राम-सेमरी झारखण्ड पुरा का नाम पर 2012 दरम
गोपाल ग्राम-लालखण्ड झला	ग्राम	-	40 लाख	मुख्य नाई पर	2वर्षीय पर	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एवं यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके खामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अर्थवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर R.B.Takri

नाम अग्रवाल शिव

पद वाइकान प्राविद

वेतन 43,500/-
28-3-2019

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो..... प्री. यम. २१.४.८
 2. वर्तमान धारित पद प्रिन्सिपल
 3. वर्तमान वेतन 66500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
गोपाल	गोपाल LIG-134 का अधिकारी	—	35 लाख	2 लाख	2 लाख (छाटमिल से) 12 लाख ग्राहन 12 लाख पुर्व	—
मुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री 30 x 50 फैट वीलब्रेकरी वालाजी वर्गा	—	6.97 लाख	2 लाख	2 लाख वि. 2017 श्रीमती कामला मिठा A-46 गोपालगढ़ी गोपालगढ़ी	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमे अल्पकालीन पटुटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एंचाट यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे ।

हस्ताक्षर..... passd
3-8-2019

नाम पर्वत फ़िल संगीत

2.5

Digitized by srujanika@gmail.com

44

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो..... पीष्ठल पवार : इन्डियन शेफर्स

2. वर्तमान धारित पद उच्चालयी सदृशक

3. वर्तमान वेतन 42,000/-/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख मुक्ति 2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	✓ गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
① <u>पर्सीष्य डुला</u> <u>भोपाल</u>	<u>दो मालिया</u> <u>कमाल</u>	<u>1000 एकड़ी</u> <u>प्रति लाख</u>	① <u>30,000/-/-</u> <u>प्रति लाख</u>	① <u>पातूकं</u> <u>शान्ति</u>			
② <u>झुरज लाल</u> <u>गोयनीय</u> <u>भोपाल</u>	<u>16X36</u>	<u>1000 एकड़ी</u> <u>प्रति लाख</u> <u>25X40</u>	<u>उल्लास</u> <u>प्रति लाख</u>	<u>पालिके</u> <u>नाम</u>	<u>स्थिर CPF</u> <u>के लिए ये</u>		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....

27/3/19

नाम

पीष्ठल पवार

पद

उच्चालयी सदृशक

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो..... कोटिकराव राळत
2. वर्तमान धारित पद कानिपक्ष मंडापक
3. वर्तमान वेतन 36200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2019

उस जिले, उप सभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
F-98 ऊर्ध्व देवेन्द्र ऐरे-2 कोलार रोड भौपाल	रुप. २१५४०.		Rs. 12, 00, 000/-	श्वयं लूट नाम	पैलू रेलवे लूकों लंबेगाड़ी बचत २५%	रु४४०/-	
1	2	3	4	5	6	7	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रसरुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....

9/6/218/-
9/8/13/2019

नाम कोटिकराव राळत

पद कानिपक्ष मंडापक

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो राजेश लक्ष्माराय

2. वर्तमान धारित पद 30 अंशीनीपन

3. वर्तमान वेतन 14400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा बौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
265 मंडीज़िली झालानी, झाट रोड, भोपाल	घट	-	20 लाख	रखय	1-10-2003	8000	1200

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना सामन्वय न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एचात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

हस्ताक्षर 

नाम राजेश लक्ष्माराय

पद 30 अंशीनीपन

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... सातवाहन राजवंश

- ## 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 52,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 03/11/15 19

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान रिथ्टि के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एंचाट यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के बौरे दे ।

हस्ताक्षर

पाह

(ASHVUTOSH PAGARE)

~~2010-11, plan~~

~~2010-11, plan~~

28/3/15

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो **राजेश कुमार भिल**
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन **96,928/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **July - 19**

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
भोजपुर	भवन B-40 रामनगर भोजपुर मुख्यालय राजभवन	-	Rs 60.00 लाख	29 दिसंबर 2012 5/5/2000 (29 वर्षों)	29 दिसंबर 2012 5/5/2000 1 जनवरी 2011/12 अप्रिल भवन भवन	Rs 84,000/- टै लो + PNB लो	HDFC
भोजपुर	भवन 004/ सरकारी भवन B-Sach Kotwala	-	Rs 10.00 लाख	29 दिसंबर 2012	आवासीय किसी	-	भवन मूल्य

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एव्यात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Rajesh Kumar Mishra

Rajesh Kumar Mishra

EE

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो..... प्रतीक ढोके, शक्ति
2. वर्तमान धारित पद माननिकार
3. वर्तमान वेतन 32300 + Allowances अगली वेतनवृद्धि की तारीख _____

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा बौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
<i>नियंत्रित</i>							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना समझ न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के लिए यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

हस्ताक्षर 23/03/2019

नाम प्रतीक ढोके

पद माननिकार

फार्म

वर्तमान

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम विनोद कुमार शुक्ला
जिसमें वह हो.....
2. वर्तमान धारित पद डॉ. शुक्ला
3. वर्तमान वेतन 41500/-पा. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
झोपाल	टलाड	—	7.00लाख	स्वप्न/पत्ता	ली.पी.एफ.से अद्वारा 3.50लाख अपेक्षा बेंट से अद्वा 2.00लाख एस्प्रॉट्वैस्टिक्स लाचत से 1.50लाख	निरूप	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एवात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अध्यवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....

नाम विनोद कुमार शुक्ला

पद डॉ. शुक्ला

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... द्वितीय लाल शुभलाल

2. वर्तमान धारित पद विभागीय नियोजक समिति

3. वर्तमान वेतन 35,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
<u>मोपाल</u>	<u>मोपाल</u> क्र. Mx- 144 <u>215वें</u> <u>मोपाली</u> <u>मोपाली</u>	<u>65.00</u> <u>लाख</u>	<u>25000</u>	<u>पेत्तल मूल्यपात्र</u> <u>मोपाल मूल्यपात्र</u> <u>मोपाल मूल्यपात्र</u> <u>मोपाल मूल्यपात्र</u> <u>मोपाल मूल्यपात्र</u>	<u>2017 में</u> <u>द्वारा दिया गया</u>	<u>50/-</u>	<u>—</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान रिथ्ति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर द्वितीय लाल

नाम द्वितीय लाल शुभलाल ५२८-३-१९

पद विभागीय नियोजक समिति

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम **संदृश्या व्यास**

जिसमें वह हो **सरकारी सेवा**

2. वर्तमान धारित पद **मुख्य वास्तुविद्**

3. वर्तमान वेतन **₹ 151,400/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2019**

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा बौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा बौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
उज्जीवन	गृह - 312, कुर्मा पल्लवा, प्रीडिंग, उज्जीवन	कुर्मा पल्लवा 12 लाख	स्वयं के नाम	पंजाब जेज़ानलु बैंक से गृह लैन केरार वर्ष 2005 में ₹ 2.55 लाख में क्रय किया गया	कोई नहीं		
ओपाल	गृह - C-2/101, आरव्युन सिव्हेचर बावड़िया कलां, ओपाल	कुर्मा पल्लवा 30 लाख	स्वयं के नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मृदु लैन ड्वीट पान्थिवारिक तृष्णा सट्टोंग से वर्ष 2012-13 में ₹ 7.20 लाख में क्रय किया	कुर्मा पल्लवा 1.2 लाख		
ओपाल	गृह - B-2/101 आरव्युन सिव्हेचर बावड़िया कलां, ओपाल	कुर्मा पल्लवा 51 लाख	स्वयं के नाम	अविल्य जिल्हे से आहुजा एवं स्टेट बैंक अपाल इंडिया से मृदु लैन केरार अप्रैल 2017 में क्रय किया	निवासस्थ		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

हस्ताक्षर.....

brij
25/03/19

नाम **संदृश्या व्यास**

पद **मुख्य वास्तुविद्**

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... **भौपाल**

2. वर्तमान धारित पद **वाटन चालक**

3. वर्तमान वेतन **322 वटा** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **28/3/2019**

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत मेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
भौपाल	स्टारलाइट घर 25X45 1412 वटा फॉट		3035	स्टारलाइट नाम	भौपाल मालीय अविवाह जीमा को- लोन लिंगा 2080	-/-	-/-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

जटायात

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....

नाम **भौपाल**

पद **वाटन चालक**

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम मनोज कुमार सौदा
जिसमें वह हो..... 2000
2. वर्तमान धारित पद सदस्य
3. वर्तमान वेतन 56700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 19

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
<u>मोपाल</u>	<u>कृष्ण निर्मला देवदेवल मुमुक्षु कालामुक्षु</u>	-	<u>30लाख</u>	<u>मनोज कुमार सौदा</u>	<u>कृष्ण निर्मला देवदेवल मुमुक्षु कालामुक्षु</u>	<u>2000</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के स्वाचात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

27-3-19

नाम

मनोज कुमार सौदा

पद

सदस्य

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो.....संगीता सौभी

2. वर्तमान धारित पद स्टेनो टाईपिस्ट

3. वर्तमान वेतन ₹13,000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
<u>निरेक</u>	<u>निरेक</u>	<u>निरेक</u>	<u>निरेक</u>	<u>निरेक</u>	<u>निरेक</u>	<u>निरेक</u>	<u>निरेक</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे ।

हस्ताक्षर

Boony

नाम संगीता सौभी

पद स्टेनो टाईपिस्ट

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो..... Saptamay Parasad, Architect Gr. I
2. वर्तमान धारित पद Architect Gr. I
3. वर्तमान वेतन ₹10400/-, अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
Bhopal Piplani	Home	-	40 lacs (approx)	Saptamay Parasad 9c k. Parasad (Husband)	Purchase	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समरत अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर Saptamay Parasad

नाम Saptamay Parasad

पद Architect Gr. I

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम वडूँडू २१८-मुख १०६५
जिसमें वह हो पूर्ण नाम लोपाल
2. वर्तमान धारित पद लेवल २१८ सह १२५
3. वर्तमान वेतन 25300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के स्वाचात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दे।

हस्ताक्षर 

नाम वडूँडू २१८-मुख १०६५

पद लेवल २१८ सह १२५

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम **५१० आर० क० ८८**
जिसमें वह हो.....
2. वर्तमान धारित पद **वरिष्ठ वैदिक अधिकारी**
3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-7-2019**

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पटटा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
① ग्रा० देवरी पैतृक तट० उमपुरा कड़ाग जि० रामनगर म.क.	कृषिशिवि रु० २००४५ 2.००४५ लाख (लगभग) (कृषिशिवि)	रु० ५००००० (लगभग)	— मवान	पैतृक कृषि वडे-नाई का नाम तरी पंची ३०.२५ कररटै आदेशादि. ११.७.१८	पैतृक कृषि वडे-नाई का नाम तरी पंची ३०.२५ कररटै आदेशादि. ११.७.१८	—	—
② सर्वधान बी-सेक्टर कोलार रोड ओपाल (म.क.) कीर्ति	— लगभग ८०.०० लाख	— लगभग ८०.०० लाख	— लगभग ८०.०० लाख	वर्ष २००७ के श्री उमा-नंद के उपरोक्त वदला से — मैं है। ५३४४ रु आवाह ५२०० लाख CPF से सार्वानिकाल उम्भा।	वर्ष २००७ के श्री उमा-नंद के उपरोक्त वदला से — मैं है। ५३४४ रु आवाह ५२०० लाख CPF से सार्वानिकाल उम्भा।	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर 

नाम **५१० आर० क० ८८**

पद **वरिष्ठ वैदिक अधिकारी**

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम **राजेश पाण्डेय**

जिसमें वह हो.....

2. वर्तमान धारित पद **सहायक नियंत्रक**

3. वर्तमान वेतन **65,000/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1.7.2019**
+ Allowances

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
ग्राम : ढाईल - १५६२१ तालुक - १५६२१ जिला बिहार	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	—	२०१८ वर्ष का वेतन वृद्धि वर्ष २०१९ वर्तमान वेतन २५५,००,०००/-	२०१८ वर्ष का वेतन वृद्धि वर्ष २०१९ वर्तमान वेतन ५०,०००/-	२०१८ वर्ष का वेतन वृद्धि वर्ष २०१९ वर्तमान वेतन ५०,०००/-	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर Landscape

नाम **राजेश पाण्डेय**

पद **सहायक नियंत्रक**

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्का)

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/ कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो Rashmi Khare
2. वर्तमान धारित पद Architect - Gtade 1
3. वर्तमान वेतन Rs. 300/- + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख July

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
मोपाल दूर्गावाड़ रोड	मोपालेन D-59 कृष्णगढ़ पुराना बाजार मोपाल मोपाल	32,000/- स्वयं अंगत केनाम	खरीद रघुत विद्यार्थी शिक्षण केनाम लोकरात्वसम्मान भाला व रघुत लिंग कृष्णर रघुत लिंग घासला मोपाल 31 फरवरी 2007 समिति 10.55	खरीद रघुत विद्यार्थी शिक्षण केनाम लोकरात्वसम्मान भाला व रघुत लिंग कृष्णर रघुत लिंग घासला मोपाल 31 फरवरी 2007 समिति 10.55	9.00 लाख लोकरात्व सम्मान भाला व रघुत लिंग घासला मोपाल लिंग	लोकरात्व सम्मान भाला व रघुत लिंग घासला मोपाल लिंग

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

नाम

पद

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... STANLY VARGHESE

2. वर्तमान धारित पद Architect Asst.

3. वर्तमान वेतन 73,000+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख April '19


उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1. BENSARI VILLAGE Kolar Road Bhopal	House	6,00,000 +/- 60,00,000	IN my NAME Constructed			
2. S. Pampady Kottayam Kerala	House in 1/2 Acre- Land.	50,00,000	In my name Personal property	Personal Property		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....


नाम STANLY VARGHESE

पद Asst. Architect

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो SHAFIA MAWAL

2. वर्तमान धारित पद MODELLER

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी समिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के एवं यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....

नाम SHAFIA MAWAL

पद MODELLER

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... VANDANA UPADHYAYA, ARCHITECT GR.I

2. वर्तमान धारित पद ARCHITECT GR.I

3. वर्तमान वेतन..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर.....

Vandana Upadhyaya

नाम.....

Vandana Upadhyaya

पद.....

Architect Gr.I

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम

जिसमें वह हो..... श.को., मोपाल

2. वर्तमान धारित पद मुरोद अधिकारी

3. वर्तमान वेतन 1,92,124/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 July 2019
(As on March-2019)

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पटटा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
मोपाल	कोटे	-	अपेल 2000 मेवरीदी मुरोद Rs. 5.50 कोटे	PNB से कोटे 2 रु			
मोपाल	कोटे	-	Rs 20.08 कोटे	SBI से कोटे 2 रु			
मोपाल	कोटे	-	Rs 11.78 कोटे	SBI से कोटे 2 रु			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही—सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर _____

नाम अनुप - मोपाल

पद मुरोद अधिकारी

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को)

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम
जिसमें वह हो... Richa Choubey, Receptionist
2. वर्तमान धारित पद Asstt. to OIC, MPECI AA
3. वर्तमान वेतन 1100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख August 2019

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति हो	सम्पत्ति का नाम तथा बौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं का नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	
Bangalore Karnataka	2 BHK Flat. Sai Mandir Apartment, Banerghatta Bangalore,	Around 50-55 Lakhs.	Self.	Savings, Sold old Property and Bank Loan.	No.		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के द्वारा यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके रखाने की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समर्त अचल सम्पत्ति के बौरे दे।

हस्ताक्षर Richa Choubey

नाम Richa Choubey
पद Receptionist